

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 339 / 2024


दिनांक : 29.01.2024

श्री दीपेन्द्र माथुर (RJ00678), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), टोंक को दिनांक 05.02.2024 से 09.02.2024 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 04.02.2024 एवं 10.02.2024 से 11.02.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री माथुर की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), टोंक के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/47/2011/872

दिनांक 29.01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 15876/604 दिनांक 21.12.2023/10.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री दीपेन्द्र माथुर (RJ00678), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), टोंक।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), टोंक।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।


सहायक रजिस्ट्रार